186

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

III/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/3871

प्रकरण क्रमांकः ए/17 निगरानी

रामखिलाडी पुत्र मलखान रावत निवासी– सीखेड़ा तहसील बीरपुर, जिला श्योपुर,......निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामलखन पुत्र श्री रामबख्स जाटव निवासी सीखेडा तहसील बीरपुर, जिला श्योपुर
2. रामलखन पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण
3. कमर सिह पुत्र रामस्वरूप रावत
4. रामसिह पुत्र ब्रदी जाटव,
5. शिवराज पुत्र बनवारी समस्त निवासीगण सीखेडा तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर म.प्र......रेस्पोडेन्टस

श्री अरविन्द सिंह चौहान एड. द्वारा आज दि. 12-10-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 12-10-17

पेशी दिनांक 18-10-17

Noted 18.10.17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्व आदेश दिनाक 6.9.2017 प्रकरण कमाक 443/2016–17 अपील माल, पारित श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना म0प्र0

माननीय न्यायालय,

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / श्योपुर / भू0राज0 / 2017 / 3871

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30 –10–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार वीरपुर द्वारा आवेदक रामखिलाडी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कायम होने एवं पुलिस प्रतिवेदन के बावजूद भी आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त किया जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये जाने पर अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार वीरपुर को हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर गुण–दोष पर आदेश पारित करने में निर्देश दिये हैं और अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	